N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0012 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 24/01/2025 18:56 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 16/01/2025 **Date To (दिनांक तक):** 23/01/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:30 बजे **Time To (समय तक):** 12:49 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 24/01/2025 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 24/01/2025 18:56:13 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 25 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** CHAUDARY E-MITRA KIOSK, BANK OF INDIA KE SAMANE, NEVTA,JAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAMDHAN GURJAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SURGYAN SINGH GURJAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1993 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	113, SHIKSA SAGAR COLONY, C BOLOK,GOVINDPURA, SANGANER, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	113, SHIKSA SAGAR COLONY, C BOLOK,GOVINDPURA, SANGANER, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAJKUMART DHAKA		पिता:RAMESHWER LAL DHAKA	1. 26,JAGNNATHPURI,KALWAR ROAD,JHOTWARA,JHOTWARA, JAIPUR (WEST),RAJASTHAN,INDIA
2	SHYOJIRAM CHAUDHRY AND OTHERS		पिता:MUKNRAM CHAUDRY	1. GRAM NEVATA,POLICE THANA MAHENADRA SEZ,JAIPUR (WEST),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		25,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 25,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

प्रकरण के हालात इस प्रकार से निवेदन है कि परिवादी श्री रामधन गुर्जर पुत्र श्री सुरज्ञान सिंह गुर्जर, उम्र 32 साल, निवासी 113 शिक्षा सागर कॉलोनी, सी-ब्लॉक, गोविन्दपुरा सांगानेर जयपुर कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर तृतीय जयपुर में उपस्थित होकर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को स्वयं द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना-पत्र इस आशय का पेश किया कि मैं वर्तमान में रवि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय नेवटा सांगानेर जयपुर में बीएड प्रथम वर्ष का छात्र हूं। उक्त महाविद्यालय मै नियमानुसार क्लास लेता रहा हूं। इसके बाद भी मुझे प्रधानाचार्य श्री राजकुमार जी द्वारा मेरी अटेण्डेंस शार्ट करने व प्रेक्टिकल में फैल करने की धमकी देकर लगातार परेशान किया जा रहा है तथा 42000/- रूपये की मांग की जा रही है। इतने दिनो तक मैं रूपये देने में टालम-टोल करता रहा लेकिन अब मुझे 2024-25 की Bed प्रथम वर्ष ईंटरशिप के लिए G.S.S.S- झानून सवाईमाधोपुर आवंटित हुई है। इंटरशिप के लिए मुझे कालेज रिलिव लैटर की आवश्यकता होने पर आज मैं रवि T.T. कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास गया तो उन्होने मेरे से रिलिव लेटर देने के बदले 42000/-रूपये की मांग की मेरे द्वारा काफी निवेदन करने पर वो 30,000/-रूपये पर सहमत हुए। मैने उनको रूपये नहीं देना चाहता हू व रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं इत्यादि अंकित किया है। उक्त प्रार्थना श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को अग्रीम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि अगस्त 2024 में रवि शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज, नेवटा जयपुर में बीएड प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया था जिसकी निर्धारित फीस 5000/- रूपये व काउन्सलिंग के 22000/- रूपये कुल 27000/- ऑन लाईन वर्धमान महावीर खुला विश्वविधालय के खाते में जमा करवा चुका हूं। प्रार्थी बीएड प्रथम वर्ष का नियमित छात्र है। उक्त कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री राजकुमार जी पिछले 6 महिनों से प्रार्थी से 42000/- रूपये की रिश्वत की मांग कर रहे है। प्रार्थी इतने दिन उसको टालमटोल करता रहा लेकिन अब प्रार्थी को बीएड प्रथम वर्ष की इन्टर्नशीप हेतु राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, जानुन, सवाई माधोपुर आंवटित हुई है जिसमें प्रवेश लेने हेतु उसको रवि टीटी कॉलेज, नेवटा से कॉलेज रिलिविंग लेटर प्राप्त करना है, उक्त रिलिविंग लेटर लेने के लिए मैं उक्त कॉलेज में गया तो वहां के प्रधानाचार्य श्री राजकुमार जी ने उक्त रिलिविंग लेटर देने के बदले मेरे से पुनः 42 हजार रूपये की मांग की, मेरे द्वारा काफी निवेदन करने पर प्राधानाचार्य 30,000/- रूपये लेने पर अपनी सहमती दी है। परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ कॉलेज अलॉटमेंन्ट लेटर, काउन्सलिंग के 5100/- रूपये (100 रूपये ई-मित्र चार्ज) व 22000/- रूपये ऑन लाईन जमा रसीद व अन्य संबंधित कागजातों की फोटोप्रतिया प्रस्तुत की है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाने पर परिवादी को एसीबी द्वारा की जाने वाली रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाने हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया गया कि आज तो रवि टीटी कॉलेज बन्द हो गई है तथा मैं कल प्राधानाचार्य से रिश्वत लेन-देन की बातचीत करने जाकर उससे रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा सकता हूं। अतः सत्यापन की कार्यवाही पश्चात जैसी सूरत होगी वैसी कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात् दिनांक 17.01.2025 समय 11.10 एएम पर परिवादी श्री रामधन गुर्जर कार्यालय कक्ष में मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित हुआ, जिस पर कार्यालय के श्री सुभाष कानि. 592 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी व कानि0 का आपस में परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र के बारे में बताकर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाने के निर्देश दिये। तत्पश्चात श्री सुभाष कानि. द्वारा कार्यालय के मालखाना से एक विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर व एक नया मैमोरी कार्ड सेनडिस्क 32जीबी मंगवाकर परिवादी को उक्त वाईस रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की प्रक्रिया समझाई गई। तत्पश्चात् श्री सुभाष कानि0 को उक्त वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी के साथ रवि टीटी कॉलेज, नेवटा, सांगानेर पर भेजकर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन कराया गया। उक्त रिश्वत मांग सत्यापन में श्री

राजकुमार ढाका प्रिंसिपल ने परिवादी श्री रामधन गुर्जर से कहा कि आपको काफी बार बता दिया, आपको छः महिने से कह रहा हूं इस पर परिवादी ने कहा कि सर 30 से कम नही होगा क्या तो श्री राजकुमार ढाका ने थोड़ी देर रूक कर कहा कि बाईस तारीख को आ जाओ रिलिविंग लैटर दे देंगे व परिवादी ने प्रिसिंपल साहब से 1-2 दिन का समय मांगा है, इत्यादि तथ्य प्रकट हुए है। परिवादी व प्राधानाचार्य के मध्य रिश्वत सम्बंधित वार्ता स्पष्ट नही होना पायी जाने पर पुनः रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाये जाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 21.05.2025 को परिवादी के कार्यालय में आने पर श्री सुभाष कानि0 को उक्त वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी के साथ रवि टीटी कॉलेज, नेवटा, सांगानेर पर भेजकर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन कराया गया। उक्त रिश्वत मांग सत्यापन में श्री राजकुमार ढाका प्रधानाचार्य से परिवादी ने रिलिव लैटर के बारे में पूछा तो कहा कि पहले आप करवा दो फिर हम आपको दे देंगे, परिवादी ने टुकड़ो में करने के बारे में कहा तो श्री राजकुमार ढाका ने कहा कि ठीक है टुकड़ो में करवा दो, परिवादी ने कहा कि सर 10-12 हजार रूपये मुश्किल से हुये है, तो श्री राजकुमार ढाका ने एक कागज पर लाल स्याही के पेन से 18000, 15000 व 3.5 हजार लिखते हुये कहा कि इनमे से अभी कौनसा टुकड़ा दोगे तो परिवादी ने कहा कि सर अभी तो 10-12 हजार की व्यवस्था हुई है, परिवादी ने पास में खड़े रवि जी, जो टीटी कॉलेज की डायरेक्टर के बेटे है से भी कहा कि रवि जी कुछ तो कम करवाओ तो रवि ने कहा कि मैं क्या करू, इस पर परिवादी ने कहा कि 20 हजार में पार नही पड़ेगी क्या तो श्री राजकुमार ढाका ने मुझे नो सर कहते हुये मना कर दिया व कहा कि तीस हजार करवाओ तो परिवादी ने कहा कि सर 25 हजार में करवा दो सर तो श्री राजकुमार ढाका ने कहा कि 25 हजार अभी करो तो परिवादी कहा कि आज तो मैं 10-12 ही लेके आया हूं, कल करवा दूंगा तो श्री राजकुमार ढाका ने कहा कि किट वाले 3.5 हजार पर टीक लगाकर बोला कि ये 10-15 दिन बाद में करवा देना और पास में खड़े रवि की ओर करने बोले कि कल इनसे मिल लेना साथ ही कागज पर लिखी हुई रकम 25000 पर पेन रखकर बोले कि ये करवा दो व परिवादी को कल 10 से 01 बजे के बीच में बुलाया तथा कहा है कि कल आ जाना आपका काम हो जायेगा इत्यादि वार्ता करना पाया गया। इस प्रकार आरोपी श्री राजकुमार ढाका, प्रधानाचार्य द्वारा परिवादी से 30 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 25 हजार रूपये रिश्वती राशि मांगने के तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। हालात उच्चाधिकारियों से निवेदन कर दिनांक 22.01.2025 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। तदुपरान्त परिवादी रामधन गुर्जर को कार्यवाही की गोपीनयता बनाये रखते हुये दिनांक 22.01.2025 को कार्यालय में आने की हिदायत कर कार्यालय से रूख्सत किया गया। आईन्दा नियमानुसार अग्रीम कार्यवाही की जायेगी। कार्यालय पत्र श्रीमान् कुल सचिव, राजस्थान विश्वविधालय, जयपुर को जारी कर दो स्वतंत्र गवाहन पाबंद करवाये गये। दिनांक 22.01.2025 को परिवादी श्री रामधन गुर्जर कार्यालय में उपस्थित आ चुका है। परन्तु संदिग्ध प्रधानाचार्य श्री राजकुमार ढाका रवि टीटी कॉलेज, नेवटा में उपस्थित नही होना पाया गया जिस पर संदिग्ध के कॉलेज में आने तक परिवादी श्री रामधन गुर्जर को कार्यालय हाजा में ही मुकिम रखा गया। परिवादी के बताये अनुसार दिनांक 21.01.2025 की मांग सत्यापन के अनुसार के परिवादी श्री रामधन गुर्जर द्वारा श्री रवि को अलग-अलग समय पर कॉल किया परन्तु उसके द्वारा रिसिव नही किया गया। चूंकि कॉलेज का समय समाप्त होने व श्री राजकुमार की लोकेशन नहीं मालुम होने के कारण परिवादी को कल दिनांक 23.01.2025 को सुबह 10 बजे कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रूख्सत किया गया था। मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष पूर्व से पाबंदशुदा दो स्वतंत्र गवाहन उपस्थित हुए, जिनको स्वयं का परिचय देकर उनका नाम-पता पूछा तो एक ने अपना नाम राजकुमार सिंह पुत्र श्री बद्रीसिंह उम्र 55 साल, निवासी मु.पो. करीरी वाया खेजरोली पुलिस थाना अमरसर जिला जयपुर हाल अनुभागाधिकारी स्नात्तकोतर परीक्षा संचालन शाखा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर तथा दुसरे ने अपना नाम बुद्धीप्रकाश पुत्र श्री मोहनलाल, उम्र 54 साल निवासी प्लाट नं. 662, गली नं. 5, देवीनगर, न्यू सांगानेर रोड़ सोडाला, जयपुर हाल वरिष्ठ लिपिक परीक्षा गोपनीय शाखा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर होना बताया। उक्त दोनो गवाहान को एसीबी द्वारा की जाने वाली गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह के रूप में उपस्थित होने हेतु कहा गया तो दोनो ने अपनी अपनी मौखिक रूप से सहमती दी। तत्पश्चात् दोनो गवाहान को दिनांक 23.01.2025 को सुबह 10 बजे कार्यालय हाजा में उपस्थित होने की आवश्यक हिदायत कर कार्यालय से रूख्सत किया गया। दिनांक 23.01.2025 समय 10.15 एएम पर परिवादी श्री रामधन गुर्जर, दोनो गवाह श्री राजकुमार सिंह व श्री बुद्धिप्रकाश तथा समस्त स्टाफ कार्यालय में उपस्थित आ चुका है। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री रामधन गुर्जर व उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहन का आपस में परिचय करवाया गया तथा एसीबी द्वारा की जा रही गोपनीय कार्यवाही के बारे में बताकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् समय 10.30 एएम पर स्वतंत्र गवाहन के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री रामधन गुर्जर को संदिग्धों को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिए कहा तो परिवादी ने अपने पास से प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये 50 नोट कुल राशि 25,000 रूपये पेश किये, उक्त नोटों का विवरण फर्द में अंकित कर उपरोक्त सभी 500-500 रूपये के 50 नोट, कुल राशि 25,000/- रूपयों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाने हेतु दोनों स्वतन्त्र गवाहन व परिवादी श्री रामधन गुर्जर के समक्ष श्री विशाल बाछल, वरिष्ठ सहायक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर चतुर्थ से एचएम कार्यालय की अलमारी में से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर वहीं पर रखी एक टेबल पर अखबार बिछाकर उस पर फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाया गया व नियमानुसार

उक्त सभी नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहन श्री राजकुमार सिंह से लिवाई गई। परिवादी के पास उसके मोबाईल के अलावा अन्य कोई संदिग्ध वस्तु नहीं छोड़ी गई। फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त 25,000/- रूपयों को सीधे ही विशाल बाछल से परिवादी श्री रामधन गुर्जर के पहनी हुई जेकेट की दांहिनी जेब मे रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये व संदिग्धों द्वारा मांगने पर ही उक्त नोटो को सुपुर्द करें तथा संदिग्ध इस रिश्वत राशि को लेकर कहां रखते है, कहां लेकर जाते है इसका भी ध्यान रखें। संदिग्धों द्वारा रिश्वत राशि लेने के पश्चात् ही अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मन् उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर [redacted] पर मिस कॉल कर मुझें या यथा संभव ट्रेप पार्टी को ईशारा करें, साथ ही स्वतन्त्र गवाहान को भी परिवादी के आस-पास रहने की आवश्यक हिदायत की गई। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दृष्टान्त देकर समझाने के लिए नये पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक के एक गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा, उसके बाद श्री विशाल बाछल जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था के हाथों की अंगुलियों को उक्त सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसके बारे में उपस्थित गवाहान व परिवादी को समझाया गया कि जो भी इन फ्निपथलीन पाउडर लगे नोटों को हाथ लगायेगा या छुयेंगा तो उसके हाथ इस प्रक्रिया के अनुसार धुलवाने से पानी का रंग गुलाबी हो जावेगा। तत्पश्चात उस अखबार को जिस पर रखकर नोटों पर फिनोलपथलीन पाउडर लगवाया था, को व पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। श्री विशाल बाछल से गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी वापस अलमारी में रखवाई गई। ट्रेप पार्टी के सदस्यों व गवाहान की एक दूसरे से तलाशी लिवाई गई व किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु या दस्तावेज आदि नहीं छोडे गये। ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। रिश्वत लेन-देन के समय परिवादी व संदिग्धों के मध्य होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय पूर्व से उपयोग में लिया जा रहा मैमोरी कार्ड सेनडिस्क 32जीबी श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 को सुपुर्द किया गया व हिदायत की गई कि परिवादी जब संदिग्धो के पास जाये उससे पूर्व उक्त वॉइस रिकार्डर को चालू करके परिवादी को सुपुर्द करें। रिश्वती राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री विशाल बाछल को कार्यालय में ही रहने की हिदायत दी गई। समय 11.15 एएम पर श्री ज्ञान प्रकाश नवल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मन् उप अधीक्षक पुलिस श्री सुरेश कुमार स्वामी मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय एसीबी जाप्ते को साथ लेकर जरिये सरकारी/प्राईवेट वाहनों के मय चालक मय लेपटॉप, प्रिन्टर, विडियो कैमरा, ट्रेप बॉक्स व अन्य आवश्यक सामग्री के रवाना होने से पूर्व श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 को परिवादी श्री रामधन गुर्जर के साथ उसकी निजी मोटरसाईकिल से आवश्यक हिदायत देकर रवाना कर उनके पीछे-पीछे वास्ते करने गोपनीय कार्यवाही एसीबी कार्यालय से रवाना होकर समय 12.05 पीएम पर महिन्द्रा सेज की ओर जाने वाली सड़क पर रवि शिक्षक प्रशिक्षण महाविधालय, नेवटा, सांगानेर के पास पहुंच कर अपनी पहचान गोपनीय रखते हुये मुकिम हुये, श्री सुभाष चन्द्र कानि. भी परिवादी श्री रामधन गुर्जर के साथ उसकी निजी मोटरसाईकिल पर उक्त सड़क पर आ चुका है जिस पर मन् टीएलओ द्वारा हमराही जाप्ता को भी आस-पास ही छुपाव हासिल कर खड़े रहने की हिदायत की गई। श्री सुभाष चन्द्र कानि. ने मन् टीएलओ को अवगत कराया कि समय 12.09 पीएम पर परिवादी को वॉइस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर संदिग्ध से वार्ता करने हेतु उसकी मोटरसाईकिल से रवि टीटी कॉलेज की ओर रवाना कर दिया है तथा मैं भी उसके पीछे-पीछे ही छुपाव हासिल करते हुये रवाना हो रहा हूं, जिस पर समस्त जाप्ता को अलर्ट किया गया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के रवि टीटी कॉलेज के पास ही परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकिम रहा। समय करीब 12.47 पीएम पर परिवादी के निर्धारित ईशारे हेतु रवि टीटी कॉलेज के पास मुकिम टीम सदस्य श्री सुभाष चन्द्र कानि. ने मन् टीएलओ को जरिये फोन बताया कि परिवादी ने फोन कर श्री राजकुमार जी प्रिंसिपल के कहने पर रिश्वत राशि तिराहे पर स्थित चौधरी ई-मित्र पर देने के लिए कहा है और मैं ई-मित्र पर रिश्वत राशि देने हेतु रवाना हो रहा हूं, जिस पर मन् टीएलओं मय दोनो स्वतंत्र गवाहान, श्रीमती पिंकी कंवर म0कानि0 11, श्री सुभाष कानि0 नं0 592, श्री कपिल कानि0 नं0 377, श्री पुष्पेन्द्र सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी, मय सरकारी वाहन के मुकिम हुये स्थान से धीरे-धीरे परिवादी के पीछे रवाना हुये, समय 12.49 पीएम पर परिवादी ने पुनः सुभाष कानि. को फोन कर बताया कि मैंने रूपये ई-मित्र पर श्योजीराम को दे दिये है इस पर मन् टीएलओ द्वारा हमराही अन्य जाप्ते में से श्री हरिभजन सउनि, मय श्री मनीष हैड.का. 31, श्री प्रदीप कानि0 245 को आरोपी प्रिन्सिपल राजकुमार को डिटेन करने के लिए रवि टीटी कॉलेज में रवाना किया। मन् टीएलओ मय दोनो जाप्ता जैसे ही ई-मित्र के आस-पास पहुंचे तो सामने से परिवादी श्री रामधन गुर्जर मिला, जिसने बताया कि मैं अभी-अभी चौधरी ई-मित्र पर जाकर श्योजीराम जी को 25000/- रूपये रवि जी, बीएड कॉलेज का नाम लेकर दे दिये है, जिस पर श्योजीराम ने उक्त रिश्वती राशि को गिनकर अपनी टेबल की बांयी दराज में रख लिए है। इस पर परिवादी को हमराह लेकर चौधरी ई-मित्र पर पहुंचे, जहां पर ई-मित्र के अन्दर बांयी तरफ लगे कम्प्यूटर पर कार्य कर रहे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर परिवादी ने बताया कि ये ही श्योजीराम जी है जिनको मैने रिश्वती राशि के 25000/- रूपये दिये है। तत्पश्चात् मन् टीएलओ

ने श्योजीराम को अपना व टीम के सदस्यों का परिचय दिया, परिवादी से विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर को श्री सुभाष कानि0 से प्राप्त करवाया और बंद किया कर अपने पास सुरक्षित पास रखा गया। ई-मित्र संचालक से नाम पूछा तो उसने अपना नाम श्योजीराम पुत्र मुकनराम उम्र 32 साल निवासी ग्राम नेवटा जयपुर हाल चौधरी ई-मित्र संचालक ग्राम नेवटा, सांगानेर जयपुर बताया। तत्पश्चात् श्री श्योजीराम चौधरी के दो मोबाईल को कब्जा एसीबी लिया गया, जिनका आइन्दा निरीक्षण किया जावेगा। मन् टीएलओ द्वारा श्योजीराम चौधरी को परिवादी से ली गई, रिश्वती राशि के बारे में पुछा तो श्योजीराम चौधरी ने रिश्वती राशि के बारे में कुछ नहीं बताया और बार बार पुछने पर भी रिश्वती राशि के बारे में साफ इन्कार करता रहा। तत्पश्चात् मन् टीएलओ द्वारा परिवादी के बताये अनुसार दोनो स्वतंत्र गवाहन से कम्प्यूटर टेबल की दराजो की तलाशी करवाई गई तथा उसमें रखे 500-500 रूपये के नोटो के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी में अंकित नोटो के विवरण से किया गया तो उक्त राशि का मिलान नही होना पाया गया जिस पर उक्त राशि को सुरक्षित गल्ले में ही चूंकि उक्त ई-मित्र गांव के मुख्य चौराहे पर स्थित है, ई-मित्र पर काफी भीड़ एकत्रित होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से अग्रीम कार्यवाही रवि टी0टी0 कॉलेज में करने का निर्णय लिया गया। मन् टीएलओ द्वारा ई-मित्र को बंद करवाकर ताला लगवाकर चाबी हमराह गवाह श्री बुध्दिप्रकाश के पास सुरक्षित रखवायी गई तथा हमराही श्री कपिल कुमार कानि को निगरानी हेतु मामूर कर संदिग्ध श्री श्योजीराम चौधरी को हमराह लेकर मय टीम के वहां से रवाना होकर रवि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय पर पहुंचे, जहां पर श्री हरिभजन सहायक उप निरीक्षक पुलिस मय जाप्ता व डिटेन शुदा संदिग्ध श्री राजकुमार ढाका व उसके दो मोबाईल सहित उपस्थित मिले, दोनो मोबाईल कब्जा एसीबी लिये गये, जिनका आइन्दा निरीक्षण किया जावेगा। मन् टीएलओ ने अपना व हमाराहियान का परिचय देकर डिटेन शुदा व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री राजकुमार ढाका पुत्र स्व0 श्री रामेश्वरलाल ढाका, जाति-जाट, उम्र-34 साल, निवासी प्लाट नं0 26, जगन्नाथपुरी, कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा जयपुर असिस्टेंट प्रोफेसर हाल कार्यवाहक प्रिसिंपल, रवि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, नेवटा सांगानेर जयपुर होना बताया, जिससे परिवादी श्री रामधन गुर्जर से कॉलेज रिलिविंग लेटर देने की एवज में मांगी गई रिश्वत राशि व आज परिवादी से 25000/- रूपये रिश्वती राशि अपने विश्वस्त दलाल श्री श्योजीराम चौधरी ई-मित्र संचालक को दिलवाने के संबंध में पूछा तो उसने परिवादी श्री रामधन गुर्जर की तरफ ईशारा कर बताया कि यह हमारे कॉलेज में बीएड प्रथम वर्ष का छात्र है, जो कॉलेज में नही आता है, इनकी उपस्थिति कम होने के कारण डोनेशन देने के संबंध में वार्ता करने आया था, और कॉलेज में उपस्थिति पुरी दिखाने के लिए इन्होने 25000/- रूपये का डोनेशन देने के लिए कहा तो मैने इनको नेवटा गांव में स्थित चौधरी ई-मित्र के संचालक श्योजीराम जी चौधरी को कॉलेज वाले रवि जी का नाम लेकर रूपये देने के लिए कहा था, मेरे द्वारा इनसे किसी प्रकार की रिश्वती राशि की मांग नहीं की है और ना ही आज मैने इनसे कोई रिश्वती राशि ली है। इस पर उपस्थित परिवादी द्वारा संदिग्ध श्री राजकुमार ढाका की तरफ ईशारा कर बताया कि इन्होने मेरे से कॉलेज में उपस्थिति पूरी भिजवाने, प्रेक्टिकल में फेल नहीं करने व कॉलेज रिलिविंग लेटर देने की एवज में मेरे से 42000/- रूपये की मांग की थी तथा एसीबी द्वारा करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन में भी इन्होने मेरे से 30000/- रूपये की मांग करी थी, मेरे द्वारा काफी विनती करने पर इन्होने रिश्वती राशि कम कर 25000/- रूपये लेने की सहमति दी थी और आज जब में रिश्वती राशि के 25000/-रूपये देने के लिए कॉलेज आया तो राजकुमार जी व टीटी कॉलेज संचालक रामलाल जी मिले, जहां पर राजकुमार जी ने मुझसे रिश्वती राशि लाने व पुरी रिश्वती राशि होने के बारे में पुछा और कहा कि पास में ही नेवटा गांव के चौराहे पर स्थित चौधरी ई-मित्र पर जाकर रिश्वती राशि दे दो, मेरे द्वारा नाम पुछने पर श्योजीराम जी का नाम बोलकर उनको रवि जी का नाम लेकर रिश्वती राशि देने के लिए कहा जिस पर मै चौधरी ई-मित्र के लिए रवाना हो गया तथा रास्ते में मैंने सुभाष जी को फोन पर ई-मित्र पर रूपये देने के बारे में बताया था तथा ई-मित्र पर पहुंचकर श्योजीराम जी से मिला तथा उनको मैने 25000/- रूपये रवि जी, डायरेक्टर, बीएड कॉलेज का नाम लेकर श्योजीराम जी को दे दिये, जिस पर श्योजीराम जी ने रिश्वती राशि को गिनकर अपनी टेबल की दराज में रख लिये थे और ई-मित्र पर भीड़ होने की वजह से मैं वहां से थोड़ी दूर होकर सुभाष जी को फोन करने लगा इतने में ही सामने से मुझे डिप्टी साहब मय एसीबी टीम प्राईवेट कार में मेरी तरफ आते हुए मिले, जिनको मैंने ई-मित्र पर रिश्वती राशि देने के बारे में बताया था जिसके बाद एसीबी ने तुरन्त श्योजीराम जी को पकड़ लिया था। तत्पश्चात मन् टीएलओ द्वारा विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर को चलाकर सरसरी तौर पर सुना गया तो परिवादी श्री रामधन गुर्जर द्वारा बताये गये कथनों की ताईद हुई, आरोपी श्री राजकुमार ढाका को हमराही जाप्ते की निगरानी में बिठाया गया। तत्पश्चात कॉलेज के एक खाली कक्ष में संदिग्ध श्री श्योजीराम चौधरी की हाथ धुलाई व धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिसमें संदिग्ध श्री श्योजीराम चौधरी (प्राईवेट व्यक्ति /दलाल) के दोनो हाथों के धोवन लेने के लिए ट्रेप बॉक्स से दो नये नये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर, जग में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशी निकालकर उक्त गिलासो में बारी-बारी एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग के रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त प्लास्टिक गिलास के तैयारशुदा घोल में श्री श्योजीराम चौधरी के दांहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसको हाजरिन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को

गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क R-1 व R-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् इसी प्रक्रियानुसार दुसरे तैयार किये गये सोडियम कार्बोनेट के घोल में श्री श्योजीराम चौधरी के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे समस्त हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो कांच की साफ शिशियो में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क L-1 व L-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात मन् टीएलओ ने श्री श्योजीराम चौधरी से पुनः तस्सली देकर परिवादी से प्राप्त रिश्वती राशि के 25000/- रूपये के बारे पूछा तो श्री श्योजीराम चौधरी ने बताया कि मैने रामधन से 25000/- रूपये लेकर टेबल की दराज में रखे और रामधन के जाने के बाद तुरन्त ही मैने मेरी दुकान से ही आवाज देकर मेरे परिचित बैक कर्मचारी श्री जयप्रकाश को बुलाया, जो मेरी कियोस्क के सामने बैंक ऑफ इण्डिया के परिसर में खड़ा था, जो मेरी आवाज देने पर बैंक के पीछे वाले लोहे के गेट के पास आ गया जिसको मैने उक्त रूपये देकर मेरे ई-मित्र के खाते में जमा कराने के लिए कहा था। डर की वजह से मैने उस समय आपको रूपये बैंक में जमा करवाने की बात नही बताई थी, मुझसे गलती हो गई। तत्पश्चात मन् टीएलओ मय स्वतंत्र गवाहान व डिटेन शुदा आरोपी श्री श्योजीराम चौधरी मय जाप्ते व ट्रेप बॉक्स के जरिये सरकारी वाहन से रवाना होकर नेवटा गांव में चौराहे पर स्थित चौधरी ई-मित्र पर पहुंचे, जहां पर श्री कपिल कानि0 उपस्थित मिला व स्वतंत्र गवाह श्री बुद्धिप्रकाश से दुकान का ताला खुलवाया गया तथा कम्पयुटर टेबल की दराज जहां पर संदिग्ध श्री श्योजीराम ने परिवादी से रिश्वती राशि प्राप्त कर दराज में रखी गई थी उक्त स्थान का धोवन लेने के लिए एक सफेद कपड़े की चिंदी से उक्त स्थान को रगड़कर एक पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग के रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त प्लास्टिक गिलास के तैयारशुदा घोल में चिंदी को डुबोकर धोया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की साफ शिशियो में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क C-1 C-2 अंकित किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा चिंदी को सुखाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थैली में शील्ड मोहर कर पैकेट पर मार्क C अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त ई-मित्र की दुकान ताला बंद कर चाबी स्वतंत्र श्री बुद्धिप्रकाश के पास सुरक्षित रखवाई, जो पृथक से सुपुर्द की जावेगी। तदुपरांत वहां से रवाना होकर रवि टीटी कॉलेज पहुंचकर आरोपी श्री श्योजीराम चौधरी को रवि टीटी कॉलेज में एसीबी जाप्ते को निगरानी हेतु सुपुर्द कर आरोपी श्री श्योजीराम के बताये अनुसार बैंक ऑफ इण्डिया पहुंचे, जहां पर शाखा प्रबंधक को आज दिनांक 23.01.2025 को समय 12.50 पीएम से 03.00 पीएम तक 25000/- रूपये श्री श्योजीराम ई-मित्र संचालक के खाते में जमा राशि का विवरण उपलब्ध कराने के लिए पत्रांक एसपीएल-1 दिनांक 23.01.2025 दिया जाकर विवरण प्राप्त किया गया तो बैंक मैंनेजर श्री बलराम द्वारा बैंक लेटर हैड पर श्री श्योजीराम के खाता संख्या 660927700000001 में आज दिनांक को समय 125331 पर बैंक में दैनिक वेतन पर कार्य करने वाले कर्मचारी श्री जयप्रकाश द्वारा बैंक कैशियर श्री हरीश वर्मा को नगद देकर जमा करवाये गये। इस पर श्री जयप्रकाश को बुलाया जाकर मन् टीएलओ द्वारा नाम पता पूछा गया तो उन्होने अपना नाम श्री जयप्रकाश पुत्र श्री सन्नुलाल उम्र 21 साल निवासी वार्ड नं0 04 ग्राम नेवटा पुलिस थाना महिन्द्रा सेज जिला जयपुर हाल दैनिक वैतन कर्मचारी बैंक ऑफ इण्डिया शाख नेवटा जिला जयपुर मोबाईल नम्बर [redacted] होना बताया। तदुपरांत मन् टीएलओ मय हमराहियान व श्री जयप्रकाश को हमराह लेकर रवि टीटी कॉलेज पहुंचा, जहां पर श्री जयप्रकाश ने दरियाफ्त पर बताया कि आज समय करीबन 12.51 पर चौधरी ई-मित्र संचालक श्री श्योजीराम चौधरी ने आवाज देकर मुझे बैंक के पीछे वाले गेट के पास बुलाकर 25000/- रूपये दिये थे, जो मैंने कैशियर श्री हरीश वर्मा को श्री श्योजीराम के खाते में जमा कराने के लिए दे दिये थे। इस पर श्री जयप्रकाश के दोनो हाथो की धोवन कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स से दो नये नये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर, जग में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशी निकालकर उक्त गिलासो में बारी-बारी एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग के रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त प्लास्टिक गिलास के तैयारशुदा घोल में श्री जयप्रकाश के दांहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला हो गया जिसको हाजरिन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को मटमैला होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क JPR-1 व JPR-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् इसी प्रक्रियानुसार दुसरे तैयार किये गये सोडियम कार्बोनेट के घोल में श्री जयप्रकाश के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला हो गया। जिसे समस्त हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को मटमैला होना स्वीकार किया। जिसे दो कांच की साफ शिशियो में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क JPL-1 व JPL-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् मन् टीएलओ मय हमराहियान व स्वतंत्र गवाहन मय ट्रेप बॉक्स के सरकारी वाहन से रवाना होकर बैंक ऑफ इण्डिया पहुंचे, जहां पर शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इण्डिया से मिलकर बैंक कैशियर श्री हरीश वर्मा को तलब

किया, श्री हरीश वर्मा के उपस्थित आने पर मन् टीएलओ द्वारा आने मंतव्य अवगत कराया जाकर नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम श्री हरीश वर्मा पुत्र श्री महावीर प्रसाद उम्र 42 साल निवासी मकान नं0 47, सिग्नेचर हॉम्स वैशाली स्टेट गांधी पंथ वैस्ट, पुलिस थाना बिदांयका जिला जयपुर मोबाईल नम्बर [redacted] होना बताकर कहा कि आज दिनांक को मुझे श्री जयप्रकाश ने 25000/- रूपये नगद लाकर बीसी पॉईंट नेवटा के संचालक श्री श्योजीराम के खाते में जमा कराने के लिए दिये थे, जो मैंने श्री श्योजीराम के खाता संख्या 660927700000001 में आज दिनांक को समय 125331 जमा किये गये। इस पर श्री हरीश वर्मा के दोनो हाथो की धोवन कार्यवाही प्रारम्भ की गई, तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से दो नये नये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर, जग में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशी निकालकर उक्त गिलासो में बारी-बारी एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया । तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग के रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त प्लास्टिक गिलास के तैयारशुदा घोल में श्री हरीश वर्मा के दांहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसको हाजरिन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क HR-1 व HR-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् इसी प्रक्रियानुसार दुसरे तैयार किये गये सोडियम कार्बोनेट के घोल में श्री हरीश वर्मा के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे समस्त हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो कांच की साफ शिशियो में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क HL-1 व HL-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया एवं श्री हरीश वर्मा केशियर को बैंक के दैनिक कार्य के पश्चात् रवि टी0टी0 कॉलेज में उपस्थित आने की हिदायत देकर बैंक ऑफ इण्डिया नेवटा से रवाना होकर रवि टीटी कॉलेज पहुंचा। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कॉलेज के डायरेक्टर कक्ष में उपस्थित व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देकर नाम पता पुछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम श्री रामलाल जाट पुत्र श्री किशनलाल उम्र 48 साल निवासी लाल्या का बास, पोस्ट महापुरा पुलिस थाना भाकरोटा जिला जयपुर हाल निदेशक रवि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय नेवटा सांगानेर जयपुर मोबाईल नम्बर [redacted] होना बताया। दरियाफ्त पर श्री रामलाल जाट ने बताया कि मैं वर्ष 2002 से रवि बाल भारती शिक्षा समिति नेवटा में अध्यक्ष के पद कार्यरत हूं। मै रवि बाल भारती विद्यालय का संचालन वर्ष 2002 से कर रहा हूं तथा वर्ष 2016 से मैं राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से मैंने शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की सम्बंद्धता प्राप्त कर रवि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय नेवटा का संचालन कर रहा हूं। वर्तमान में उक्त कॉलेज में पीटीईटी परीक्षा 2024-25 से 98 स्टुडेंट का एडमिशन हो रखा है। हमारी संस्था वर्ष 2024-25 हेतु पीटीईटी के लिए अधिकृत नोडल एजेन्सी वीएमओयू के खाते में बीएड करने वाले छात्रो द्वारा 27000/-रूपये प्रतिवर्ष जरिये चालान जमा कराये जाते है, जिसमें से नोडल एजेन्सी द्वारा हमारी कॉलेज के खाते में उक्त चालान राशि में से 100-150/-रूपये काटकर शेष राशि डाल दी जाती है। उक्त राशि में से हम संस्था में कार्यरत टीचरो को वेतन व अन्य खर्चो का भूगतान करते है। वर्तमान में उक्त कॉलेज 16 शैक्षणिक कर्मचारी कार्यरत है, जिनमें श्री लोकेश कुमार शर्मा प्रिसिपंल के पद पर कार्यरत है, जो दिनांक 07.01.2025 से अवकाश पर होने से श्री राजकुमार ढाका असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रिसिपंल के पद का अतिरिक्त कार्यभार दे रखा है। कॉलेज के 98 स्टुडेंट वर्तमान में इंटर्नशीप हेतु अलग-अलग विद्यालयो में गये हुए है। तत्पश्चात् दरियाफ्त पर श्री रामलाल जाट ने रिकार्ड अनुसार बताया कि बीएड प्रथम वर्ष के छात्र श्री रामधन गुर्जर को कार्य मुक्ति प्रमाण पत्र नही दिया गया है। हमारे कॉलेज छात्रो से किसी प्रकार डोनेशन नही लिया जाता है व और ना ही मेरे द्वारा कभी किसी छात्र से रिश्वती राशि की मांग नही की गई है। समय 06.10 पीएम पर श्री हरीश वर्मा कैशियर बैंक ऑफ इण्डिया उपस्थित आये। प्रकरण में अब तक की गई ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री राजकुमार ढाका पुत्र स्व0 श्री रामेश्वरलाल ढाका, उम्र-34 साल, निवासी प्लाट नं0 26, जगन्नाथपुरी, कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा जयपुर, असिस्टेंट प्रोफेसर हाल कार्यवाहक प्रिसिंपल, रवि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, नेवटा सांगानेर जयपुर द्वारा परिवादी श्री रामधन गुर्जर को उपस्थिति शॉर्ट नही करने, प्रेक्टिकल में फेल नहीं करने व बी0एड0 प्रथम वर्ष इंटर्नशिप हेतु कॉलेज रिलिविंग लेटर देने की एवज में 42000/-रूपये रिश्वती राशि की मांग करने पर दिनांक 17.01.2025 व 21.01.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 30 हजार रूपये रिश्वती राशि की मांग कर 25000/रूपये रिश्वती राशि लेना तय होने के तथ्यो की पुष्टि होने पर आज दिनांक 23.01.2025 को रिश्वती राशि लेन-देन के दौरान आरोपी श्री राजकुमार ढाका ने परिवादी श्री रामधन गुर्जर को रिश्वती राशि लाने व पूरी लाने के बारे में पूछकर अपने विश्वस्त दलाल चौधरी ई-मित्र ग्राम नेवटा के संचालक श्री श्योजीराम चौधरी को रिश्वती राशि के 25000/-रूपये दिलवाये, जो श्योजीराम द्वारा ई-मित्र के सामने स्थित बैंक ऑफ इंडिया में जमा करवा दिये गये। इस प्रकार आरोपी श्री राजकुमार ढाका द्वारा परिवादी वैध कार्य की एवज में वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारितोषण रिश्वती राशि 25000/रूपये अपने विश्वस्त दलाल श्री श्योजीराम चौधरी के मार्फत प्राप्त करने का कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 बीएनएस-2023 के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया एवं आरोपी श्री श्योजीराम चौधरी पुत्र श्री मुकनराम चौधरी उम्र 32 साल निवासी ग्राम नेवटा पुलिस थाना महिन्द्रा सेज जिला जयपुर हाल चौधरी ई-मित्र

संचालक ग्राम नेवटा, सांगानेर जयपुर द्वारा आरोपी श्री राजकुमार ढाका, असिस्टेंट प्रोफेसर हाल कार्यवाहक प्रिसिंपल, रवि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, नेवटा सांगानेर जयपुर से मिली-भगत कर आरोपी श्री राजकुमार ढाका के लिए अवैध पारितोषण प्राप्त करने के आशय से उसके कहे अनुसार आज दिनांक 23.01.2025 को परिवादी से 25000/- रूपये रिश्वती राशि प्राप्त करना, जो ई-मित्र के सामने स्थित बैंक ऑफ इंडिया में जमा करवाने का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7क भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 बीएनएस-2023 के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। आरोपी श्री राजकुमार ढाका को परिवादी श्री रामधन गुर्जर से रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 17.01.2025 व 21.01.2025 व रिश्वत लेन-देन कार्यवाही दिनांक 23.01.2025 को हुई वार्ताओं की आवाज का मिलान हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर से परीक्षण करवाया जाने हेतु अपनी आवाज का नमूना देने की सहमति चाहने बाबत् पृथक से नोटिस दिया गया, जिस पर आरोपी श्री राजकुमार ढाका ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया। तदुपरान्त आरोपी श्री राजकुमार ढाका पुत्र स्व0 श्री रामेश्वरलाल ढाका, जाति-जाट, उम्र-34 साल, निवासी प्लाट नं0 26, जगन्नाथपुरी, कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा जयपुर, असिस्टेंट प्रोफेसर हाल कार्यवाहक प्रिसिंपल, रवि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, नेवटा सांगानेर जयपुर के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 बीएनएस-2023 के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर नियमानुसार पृथक से जरिये फर्द गिरफतार किया गया। आरोपी श्री श्योजीराम चौधरी को परिवादी श्री रामधन गुर्जर से रिश्वत लेन-देन कार्यवाही दिनांक 23.01.2025 को हुई वार्ता की आवाज का मिलान हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर से परीक्षण करवाया जाने हेतु अपनी आवाज का नमूना देने की सहमति चाहने बाबत् पृथक से नोटिस दिया गया, जिस पर आरोपी श्री श्योजीराम चौधरी ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया। तदुपरान्त श्री श्योजीराम चौधरी पुत्र श्री मुकनराम चौधरी उम्र 32 साल निवासी ग्राम नेवटा पुलिस थाना महिन्द्रा सेज जिला जयपुर हाल चौधरी ई-मित्र संचालक ग्राम नेवटा, सांगानेर जयपुर के विरूद्ध जुर्म धारा 7क भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 बीएनएस-2023 के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर नियमानुसार पृथक से जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। श्री रामलाल जाट निदेशक, रवि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय नेवटा द्वारा श्री रामधन गुर्जर का कार्यमुक्ति प्रमाण, शैक्षणिक कर्मचारी उपस्थिति पंजिका जुलाई 2024 से 2025, छात्र उपस्थिति रजिस्टर बीएड प्रथम वर्ष 2024-2025 प्रस्तुत किया, जिनको जरिये फर्द पृथक से जब्त किया गया तथा मूल कार्यमुक्ति प्रमाण परिवादी को सुपुर्द कर फोटो प्रति शामिल फर्द की गई। संदिग्ध श्री रवि पुत्र श्री रामलाल जाट उम्र 30 साल निवासी लाल्या का बास, पोस्ट महापुरा पुलिस थाना भाकरोटा जिला जयपुर हाल प्राईवेट टीचर रवि बाल भारती विद्यालय नेवटा सांगानेर जयपुर के विरूध्द सत्यापन के दौरान प्रकट हुए संदिग्ध तथ्यो के संबंध में अनुसंधान से स्थिति स्पष्ट की जायेगी। प्रकरण की घटना स्थल चौधरी ई-मित्र व बैंक के पीछे के गेट के पास का नक्शा-मौका नियमानुसार तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही सील मोहर किये गये आर्टिकल्स को सीलमोहर करने में एसीबी जयपुर की सील काम में ली गई का फर्द नमूना सील तैयार किया गया। दिनांक 24.01.2025 को स्वतंत्र गवाहन व परिवादी की मौजुदगी में विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड मांग सत्यापन वार्ताओं व रिश्वत लेन-देन के दौरान हुई वार्ताओं की नियमानुसार फर्द वार्ता रूपान्तरण व सीडीयां तैयार की गई। सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही, रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेन-देन वार्ता, पूछताछ आरोपीगण तथा अन्य परिस्थितजन्य साक्ष्यों से पाया गया है कि आरोपी श्री राजकुमार ढाका, असिस्टेंट प्रोफेसर हाल कार्यवाहक प्रिसिंपल, रवि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, नेवटा सांगानेर जयपुर द्वारा राज्य सरकार द्वारा पीटीईटी के आयोजन हेतु अधिकृत नोडल एजेन्सी वीएमओयू कोटा से शिक्षक प्रशिक्षण हेतु आवंटित शिक्षण शुल्क से भिन्न अवैध पारितोषण प्राप्त करने के आशय से अपने पदीय कर्तव्यो का दुरूपयोग कर परिवादी श्री रामधन गुर्जर की उपस्थिति शॉर्ट नही करने, प्रेक्टिकल में फेल नहीं करने व बी0एड0 प्रथम वर्ष इंटर्नशिप हेतु कॉलेज रिलिविंग लेटर (कार्यमुक्ति प्रमाण-पत्र) देने की एवज में 42000/-रूपये रिश्वती राशि की मांग कर दिनांक 17.01.2025 व 21.01.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 30 हजार रूपये रिश्वती राशि की मांग कर 25000/रूपये रिश्वती राशि लेना तय होने के तथ्यो की पुष्टि होने पर रिश्वत मांग के अनुसरण में अपने विश्वस्त दलाल श्री श्योजीराम चौधरी संचालक चौधरी ई-मित्र नेवटा सांगानेर जयपुर के साथ मिलिभगत कर आज दिनांक 23.01.2025 को रिश्वत लेन-देन के दौरान आरोपी श्री राजकुमार ढाका ने परिवादी श्री रामधन गुर्जर को रिश्वती राशि लाने व पूरी लाने के बारे में पूछकर अपने विश्वस्त दलाल चौधरी ई-मित्र ग्राम नेवटा के संचालक श्री श्योजीराम चौधरी को रिश्वती राशि के 25000/-रूपये देने के बारे में कहने व आरोपी श्री श्योजीराम चौधरी द्वारा आरोपी श्री राजकुमार ढाका के कहने पर परिवादी से 25000/- रूपये रिश्वती राशि प्राप्त कर उक्त राशि को अपने ई-मित्र के सामने स्थित बैंक ऑफ इंडिया में जमा करवाया गया जो बैंक कैशियर श्री हरीश वर्मा के हाथों का धोवन के गुलाबी रंग से बखूबी प्रमाणित पाया गया। इस प्रकार आरोपीगण श्री राजकुमार ढाका, असिस्टेंट प्रोफेसर हाल कार्यवाहक प्रिसिंपल, रवि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, नेवटा सांगानेर जयपुर व श्री श्योजीराम चौधरी संचालक चौधरी ई-मित्र नेवटा सांगानेर जयपुर का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7क भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 बीएनएस-2023 के तहत प्रथम दृष्टाया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपीगण (1)श्री राजकुमार ढाका पुत्र स्व0 श्री रामेश्वरलाल ढाका, जाति-जाट, उम्र-34 साल, निवासी

प्लाट नं0 26, जगन्नाथपुरी, कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा जयपुर, असिस्टेंट प्रोफेसर हाल कार्यवाहक प्रिसिंपल, रवि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, नेवटा सांगानेर जयपुर (2) श्री श्योजीराम चौधरी पुत्र श्री मुकनराम चौधरी उम्र 32 साल निवासी ग्राम नेवटा पुलिस थाना महिन्द्रा सेज जिला जयपुर हाल चौधरी ई-मित्र संचालक ग्राम नेवटा, सांगानेर जयपुर एवं (3) अन्य के विरूद्ध अर्न्तगत धारा 7, 7क भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 बीएनएस-2023 में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट ड्राफ्ट कर वास्ते क्रमांकन अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। (सुरेश कुमार स्वामी) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7, 7क भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 बीएनएस-2023 में आरोपीगण (1)श्री राजकुमार ढाका पुत्र स्व0 श्री रामेश्वरलाल ढाका, जाति-जाट, उम्र-34 साल, निवासी प्लाट नं0 26, जगन्नाथपुरी, कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा जयपुर, असिस्टेंट प्रोफेसर हाल कार्यवाहक प्रिसिंपल, रवि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, नेवटा सांगानेर जयपुर (2) श्री श्योजीराम चौधरी पुत्र श्री मुकनराम चौधरी उम्र 32 साल निवासी ग्राम नेवटा पुलिस थाना महिन्द्रा सेज जिला जयपुर हाल चौधरी ई-मित्र संचालक ग्राम नेवटा, सांगानेर जयपुर एवं (3) अन्य के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नीरज गुरनानी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 415 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 61-64 दिनांक 24-01-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3-रवि शिक्षक प्रशिक्षण महावविद्यालय, नेवटा तहसील सांगानेर, जयपुर । 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** NEERAJ GURNANI **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 2[illegible]/2025 1[illegible]8

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1991				
2	Male	1993				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)